संख्या-22/2015/2123/26-2-2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 14 सितम्बर, 2015

विषयः- वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा की आय सीमा का पुर्ननिर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ग्रामीण क्षेत्र में रू0 19,884/- एवं शहरी क्षेत्र में रू0 25,546/- गरीबी रेखा की वार्षिक आय-सीमा प्रति परिवार निर्धारित है।

2- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-17020/04/2013-एससीडी-IV, दिनांक 17.08.2015 के साथ संलग्न भारत सरकार के पत्र संख्या-11099/3/2010-पीपी, दिनांक 26.08.2015 द्वारा गरीबी अनुमान 2011-12 के संलग्न सारिणी संख्या-1 में निर्धारित उ0प्र0 के लिये गरीबी रेखा की आय-सीमा प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रू0 768.00 तथा शहरी क्षेत्र में रू0 941.00 मासिक आय के आधार पर 05 व्यक्तियों के परिवार हेतु गरीबी रेखा की आय-सीमा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080/- तथा शहरी क्षेत्र में रू0 56,460/- वार्षिक आय संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने के दृष्टिकोण से आय-सीमा हेतु कट ऑफ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

निर्धारित करते हुये ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080/- तथा शहरी क्षेत्र में रू0 56,460/- प्रति परिवार वार्षिक आय निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या- 22/2015/2123(1)/26-2-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

6- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

7- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

8- समाज कल्याण अनुभाग-1/3/क0नि0प्र0/बजट प्रकोष्ठ/सै0क0 अनुभाग।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।